निवेशक संपर्क केंद्र

कंपनी का नाम : सिंडिकेटबैंक 11.07.2011

तिमाही समाप्त : 30.06.2011

नैगम अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट

विवरण	सूचीकरण करार के खंड	अनुपालन स्थिति (हाँ/नहीं)	टिप्पणी
1. **निदेशक मंडल**	49 I		
क. बोर्ड की संरचना		जी हाँ	अनुपालन किया गया।
अ. कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालकों तथा गैर कार्यपालकों का मिला-जुला रूप होना चाहिए, जिसमें निदेशक मंडल में गैर कार्यपालकगण 50 प्रतिशत से कम न हों। बशर्ते जहाँ कंपनी का प्रवर्तक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी का प्रवर्तक हो या किसी प्रवर्तक या बोर्ड के स्तर या बोर्ड के एक स्तर से नीचे प्रबंधन के स्तर से संबंधित हो,या कंपनी के बोर्ड का न्यू नतमआधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से बना हो **आ)** अगर बोर्ड के अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक हैं तो बोर्ड के 1/3 में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, अगर वे कार्यपालक निदेशक हैं, तो बोर्ड में 1/3 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए	49 (IA)		निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) के अंतर्गत किया गया है। भारत सरकार इसका प्रवर्तक है। ये निदेशकगण निम्नलिखित द्वारा नियुक्त किए गए हैं: क) भारत सरकार ख) भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त ग) भारत सरकार द्वारा नामित घ) केंद्रीय सरकार के अलावा ,बैंक के शेयरधारकों द्वारा 30.06.2011 तक चुने गए ,बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित थे: - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - दो कार्यपालक निदेशक - भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9(3) के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर एक निदेशक को नियुक्त किया गया। - बैंकिंग कंपनी(उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की उप धारा 3(h) और (3-A) के अंतर्गत ,एक निदेशक को नामित करना - उप धारा 3(i) और धारा 9 के अनुसार दि:26.06.2010 को आयोजित वार्षिक आम बैठक

			में 3 वर्षों हेतु तीन शेयरधारक निदेशक चुने गए।
ख) गैर-कार्यपालक निदेशकगण मुआवज़ा और प्रकटीकरण (सभी शुल्क/मुआवज़ा, अगर गैर-कायेपालक निदेशकगण,जिसमें स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं को अगर प्रदत्त किया हो तो इसे ,निदेशक मंडल द्वारा नियत किया जाता है तथा सामान्य बैठक में शेयरधारकों की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। जबकि, गैर-कायेपालक निदेशकगण की बैठक शुल्क के भुगतान के लिए सामान्य बैठक में शेयरधारकों की पूर्वानुमोदन लागू नहीं है ,अगर कंपनी अधिनियम,(1956) में निर्धारित सीमाओं में किया जाता है तो इसे केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना किया जा सकता है।)	49 (**IB**)	जी हाँ	अनुपालन किया गया। गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा कोई भुगतान नहीं किया गया।
ग) बोर्ड और समितियों के अन्य प्रावधान : (**समिति** में निदेशकों की सदस्यता और बोर्ड की बैठकों के बारे में) स्वतंत्र निदेशक जिसे कंपनी के बोर्ड से निकाल दिया गया या इस्तिफा देता है तो उसके स्थान पर इस्तिफा या निकाले जाने के कम से कम180 दिनों की अवधि के अंदर नए स्वतंत्र निदेशक को लाना होगा,जैसी भी स्थिति हो।	49 (**IC**)	जी हाँ	अनुपालन किया गया। जैसे पहले बताया गया है, बैंक का बोर्ड बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) के अंतर्गत,स्थापित किया गया।
घ) आचरण सेहिता (बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन - कंपनी के वेबसाइट पर लगाएं)	49 (**ID)**	जी हाँ	बैंक के वेबसाइट पर, खंड 49 के तहत ब्यौरेवार आचरण संहिता, बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ कार्मिकों ने, 31-.03.2011 को समास्द वर्ष के लिए, आचरण संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है। हमारे बैंक के अध्यरक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दी गई घोषणा को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010- 2011 में शामिल किया गया है तथा इसे बैंक के वेबसाइट पर लगाया गया है।
II. लेखा परीक्षा समिति	49 (**II)**		
अ) (लेखा परीक्षा समिति में न्यूनतम तीन सदस्य होंगें। लेखा परीक्षा समिति के दो तिहाई के सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्यों को वित्तीय ज्ञान होनी चाहिए तथा कम से कम एक सदस्य को तो लेखीकरण या संबंधित वित्तीय प्रबंधन के बारे में अच्छीो जानकारी प्रवीणता होनी चाहिए)			अनुपालन किया गया। लेखा परीक्षा समिति को भारतीय रिजर्व बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा समिति की शर्तों के अनुसार विधिवत स्थापित किया गया है।
आ) (लेखा परीक्षा समिति वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक आयोजित करेगी तथा दो बैठकों के बीच में चार माह का	49 (**IIB)**	जी हाँ	अनुपालन किया गया

अंतराल होगा । इसमें या तो दो सदस्य होंगे या लेखा परीक्षा समिति के दो तिहाई के सदस्य,जो भी अधिक हो,परंतु इसमें कम से कम दो स्वतंत्र सदस्य मौजूद होंगे)			
इ) लेखा परीक्षा समिति के अधिकार लेखा समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे: 1.अपने विचारार्थ विषय की परिधि में आनेवाले किसी भी कार्य की जाँच 2.किसी भी कर्मचारी से सूचना मांगना। 3.बाहर से विधि या व्यवसाय से संबंधित सलाह उपलब्ध करना। 4.अगर अवश्यकता पडे तो बाहर से संबंधित निपुणता प्राप्त व्याक्ति को बुलाना।	49 (**IIC)**	जी हाँ	अनुपालन किया गया
ई) **लेखा परीक्षा समिति की भूमिका** (**बैंक** की वित्तीय रिपोर्टों का निरीक्षण,सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति,बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणियों को प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ पूर्व तथा बाद में लेखा परीक्षा पर चर्चा करना।)	49 (**IID)**	जी हाँ	लेखा परीक्षा समिति,भारिबैं का निरीक्षण,बैंक के बाह्य/सांविधिक लेखा परीक्षा पर अनुवर्ती तथा बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण का सर्वेक्षण/निरीक्षण करती है। समिति निम्नलिखित का पुनरीक्षण करती है :क) बैंक का आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा के कार्य ख). विशेष और बडी शाखाओं तथा सभी अतृप्त निर्धारण की शाखाओं का निरीक्षण ग) ,बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणियाँ अत:,अनुपालन किया गया।
उ) **लेखा परीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षण की सूचना** लेखा परीक्षा समिति को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित सूचना का पुनरीक्षण करना है: 1. परिचालन के परिणाम,वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रबंधन परिचर्चा 2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित महत्वपूर्ण पार्टी के लेन देन की विवरणी 3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रबंधन को आंतरिक नियंत्रण में कमी पर जारी पत्र 4. आंतरिक नियंत्रण में कमी से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट 5. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, बरखास्तगी तथा पारिश्रमिक की शर्तें जो लेखा परीक्षा समिति के पुनरीक्षण के अधीन हैं।	49 (**IIE)**	जी हाँ	**लेखा** परीक्षा समिति द्वारा आवधिक बैठकें आयोजित की गईं तथा उनके समक्ष प्रस्तुत सूचना/रिपोर्टों का पुनरीक्षण और विश्लेषण किया गया।
III. सहायक/अनुषंगी कंपनियाँ 1. धारित कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा जो महत्वपूर्ण गैर-सूचीकरण भारतीय	49 (**III)**	लागू नहीं	महत्वपूर्ण गैर-सूचीकरण भारतीय सहायक कंपनी के खंड में यह परिभाषित है कि वह अनुषंगी जिसका पण्यावर्त या निवल मालियत तत्काेल

सहायक कंपनी के बार्ड पर निदेशक होंगे।			पहले लेखीकरण वर्ष में सूचीकरण धारित कंपनी और उसके सहायकों के समेकित पण्यावर्त या निवल मालियत से 20 प्रतिशत से अधिक हो।बैंक का बीपीओ दि:25.01.2006 में निगमित किया गया था तथा इसकी प्रदत्त पूँजी मात्र ₹ 25.00 लाख थी।कंपनी का 30.06.2011 को समाप्त वर्ष हेतु पण्यावर्त ₹ 258.81 लाख रहा। अतः,यह लागू नहीं है।
II सूचीगत धारित कंपनी की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणियों का, विशेष रूप से, असूचीकरण सहायक कंपनियो द्वारा किए गए निवेशों का, पुनरीक्षण करेगी।		जी हाँ	
3. असूचीकगत सहायक कंपनी की बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त को सूचीबद्ध धारित कंपनी की बैठक के समय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रबंधन को आवधिक रूप से सूचीबद्ध धारित कंपनी के निदेशक मंडल को , असूचीकगत सहायक कंपनी द्वारा की गई व्यवस्था और महत्वपूर्ण लेन देन की विवरणी की ओर ध्यान दिलाया जाए।		जी हाँ	अनुषंगी के दि:31.03.2010 की लेखा परीक्षित विवरणियों को बैंक की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।अतः,अनुपालन किया गया। अनुषंगी कंपनी के कार्यवृत को आवधिक अंतरालों पर बैंक के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः,अनुपालन किया गया।
IV प्रकटीकरण.	49 (IV)		
क) संबंधित पार्टी लेन देन का आधार (संबंधित पार्टी के साथ किए गए सामान्य कारोबार की प्रक्रिया के लेन देन की समीक्षा विवरणी को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए)	49 (IVA)	जी हाँ	बैंक में अपवाद स्वरूप ऐसे लेन देनों को रिपोर्ट करने की एक प्रणाली है,जिसके अनुसार ऐसे लेन देनों से संबंधित टिप्पणियों को लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। अतः,अनुपालन किया गया।
ख) बोर्ड प्रकटीकरण (लेखांकन प्रक्रिया का प्रकटीकरण)	49 (IVB)	जी हाँ	अनुपालन किया गया।
ग) बोर्ड प्रकटीकरण -जोखिम प्रबंधन (जोखिम प्रबंधन का प्रकटीकरण)	49 (IVC)	जी हाँ	अनुपालन किया गया।
घ) सार्वजनिक निर्गम,अधिकार निर्गम,अधिमान निर्गम से प्राप्त राशि (**लेखा** परीक्षा समिति को पूँजी निर्गमों से प्राप्त निधियों को प्रकट किया जाए)	49 (IVD)	जी हाँ	अनुपालन किया गया।
ङ) निदेशकों का पारिश्रमिक (बैंक की तुलना में गैर-कार्यपालक निदेशकों के धन या लेन देन संबंधी सूचना और निदेशको के पारिश्रमिक को वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाए)	49 (IVE)	जी हाँ	अनुपालन किया गया। भारत सरकार के दि:09.03.2007 के पत्र सं.20/1/2005-बीओ.1 के अनुसार, निदेशक मंडल ने निष्पादन के मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक समिति - बोर्ड की उप समिति, का गठन किया है।
च) प्रबंधन (**प्रबंधन** द्वारा की गई चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट को	49 (IVF)	जी हाँ	अनुपालन किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाए)			
छ) शेयरधारक (शेयरधारकों की जानकारी के लिए वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक या नये निदेशकों की नियुक्ति होने पर उनका जीवन -वृत्ते प्रकाशित किया जाए) तिमाही परिणामों को वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों के संबंध,निदेशक की नियुक्ति की सूचना,निर्गम हेतु प्रस्ताव पत्र एवं विवरण पत्र और जहाँ पर कंपनी सूचीबद्ध स्टॉ क एक्स चेंज से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण किया जाए।	49 (IVF)	जी हाँ	अनुपालन किया गया। तिमाही परिणामों को बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया। अनुपालन किया गय।
V.सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र (**सीईओ** एवं सीएफओ वित्तीय विवरणियाँ के पुनरीक्षण को बोर्ड का प्रमाणन दें) आदि अभ्यडर्थी की योग्यपता, अनुभव को आंकने के बाद सीएफओ की नियुक्ति(यानि, पूर्णकालिक निदेशक या कोई अन्य जो वित्तन के कार्य का प्रमुख हो या इस कार्य को संभाल रहा हो।) का अनुमोदन।	49 (V)	जी हाँ	अनुपालन किया गया । सीएफओ से दि: 31.03.2011 तक के लिए उपलब्ध प्रमाण पत्र को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011 में शामिल किया गया है तथा बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा सीएफओ की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।
VI. नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट (**वार्षिक** रिपोर्ट में नैगम अभिशासन पर अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई)	49 (VI)	जी हाँ	दि:31.03.2011 तक की वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन पर ब्यौरेवार रिपोर्ट को शामिल किया गया है। अत:, अनुपालन किया गया।
VII.अनुपालन (**इस** खंड में निर्धारित किए गए अनुसार नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के बारे में व्यवसायी कंपनी सचिव या लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा इसे निदेशकों की रिपोर्ट में संलग्न करें।)	49 (VII)	जी हाँ	अनुपालन किया गया। दि:31.03.2011 तक लेखा परीक्षकों से प्राप्त प्रमाण पत्र को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011 में शामिल किया गया है तथा बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

कंपनी सचिव